



Neutral Citation No - 2026:AHC:163199

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7651/ 2026**

सुनील कुमार

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के लिए अधिवक्ता : अभय प्रताप सिंह, आलोक कुमार पांडेय

प्रतिवादी (गण) के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 103 वर्ष 2026, धारा 131, 304(2), 109(1), 118(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर में पंजीकृत प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और इस अभियोग में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। कथित घटना 19.6.2026 को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



हुई बताई जाती हैं, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिनों के बाद 22.6.2026 को दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है। आवेदक और दो अन्य सह-आरोपी प्रवीण @ बिट्टू और संदीप को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था। कथित घटना में दो व्यक्तियों, अर्थात् सोनू और अर्जुन को चोटें आईं। घायल सोनू को दो चोटें आईं, जिनका मानना था कि वे प्रकृति में साधारण हैं। घायल अर्जुन को तीन चोटें आईं। उनकी चोट संख्या 2 और 3 रेखिक घर्षण थीं, जिन्हें प्रकृति में सरल माना गया था। चोट नंबर 1 को नाक के पास चेहरे के बाईं ओर चोट लगी थी, जो कथित तौर पर तेज धार वाली वस्तु के कारण हुई थी और उस चोट को निगरानी में रखा गया था। घायल अर्जुन की कोई एक्स-रे रिपोर्ट नहीं है। जब सोनू का बयान दर्ज किया गया, तो उसने कहा कि सह-आरोपी प्रवीण @ बिट्टू के पास एक धारदार हथियार था। कथित घटना में आवेदक को भी चोट लगी और उसके व्यक्ति पर फ्रैक्चर हो गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक जांच और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि, यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा, और न्यायालय द्वारा लगाई जा सकने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वह तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करता है।

5. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य, (2020)

5 एससीसी 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना, या गवाहों को डराने सहित सबूतों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़ना आदि पर विचार करना होगा। आगे यह माना गया है कि न्यायालयों को आम तौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या इसे अस्वीकार किया जाए। देना है या नहीं देना यह विवेक का विषय है।

7. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय के वाद 676 में,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब हिरासत में जांच आवश्यक हो जाती है या यह एक जघन्य अपराध है या जहां गवाहों या अभियुक्त को प्रभावित करने की संभावना होती है, वह फरार हो सकता है। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाता है, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकता है। यदि विवेचनाधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में, जांच में सहयोग करता है तो अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

8. अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, आरोप की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका और वाद के सभी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत के लिए एक वाद बनाया जाता है।

9. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है: -

- (i) उपरोक्त वाद में संलिप्त आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में-**सुनील कुमार** को संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो-दो जमानतियों के साथ 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर विचारण समाप्त होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा;
- (ii) आवेदक जांच के दौरान विवेचनाधिकारी के साथ सहयोग करेगा और जांच करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर विवेचनाधिकारी को रिपोर्ट करेगा;
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अभियोग के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और
- (iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त के चूक या दुरुपयोग में, लोक अभियोजक/जांच अधिकारी/प्रथम मुखबिर-शिकायतकर्ता संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

5 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”